

संख्या 2-14/प० व नि० अनु०/2010
(भा.वा.आ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान)
डॉकघर-न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।

दिनांक 15 जनवरी, 2025

परिपत्र

आप सभी को अवगत कराना है कि वन अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थित बंगलों के आउट हाउसों में रहने वाले आवासों की अदला बदली करते रहते हैं। तथा नये लोग भी आउट हाउस में बाहर से रहने के लिए आते रहते हैं। जिनकी जानकारी पहरा एवं निगरानी अनुभाग को नहीं दी जाती है। जिसके कारण सुरक्षा में चूक होने की सम्भावनाएँ आये दिन बनी रहती हैं।

हाल के दिनों में कुछ असामाजिक तत्वों (आउट हाउस) के कारण संस्थान परिसर के अन्दर चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। झागड़े तथा मारपीट की वारदातें हो रही हैं।

अतः संस्थान परिसर में रहने वाले सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने-अपने आउट हाउस में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा आउट हाउस खाली करने पर तथा नये रहने आने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा पुलिस सत्यापन सहित पहरा एवं निगरानी अधिकारी व कुलसचिव वन अनुसंधान संस्थान को देना सुनिश्चित करें। नये आने-वाले व्यक्तियों की आने से पहले पहरा एवं निगरानी अधिकारी से अनुमति लेना एवं उनका पुलिस सत्यापन करवाकर पहरा एवं निगरानी अनुभाग अथवा नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) में प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। बिना पहरा एवं निगरानी अधिकारी की अनुमति लिए किसी को भी किसी के भी आउट हाउस में रहने आने की गेटों से अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि संस्थान की सुरक्षा में कोई चूक न हो पाये और दस्तावेज अपडेट रखा जा सकें।

अतः परिसर में रहने वाले समस्त अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने आउट-हाउसों में रह रहे व्यक्तियों के अविलम्ब पुलिस सत्यापन करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं।



कुलसचिव,
वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून।

मानक वितरण: